



**राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय**  
**RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES**  
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2019/ 20237

Date : ...7.../1.../2019

**अधिसूचना**

**विषय :** सत्र 2019-20 के सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% की दर से GST राशि जमा कराने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में।  
**संदर्भ :** इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेश क्र. 19761 दि. 28.12.2018 के क्रम में।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संदर्भित संशोधित आदेश क्र. 19761 दि. 28.12.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से GST की राशि भी जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया था।

सक्षम स्तर से प्राप्त आदेशों के क्रम में विश्वविद्यालय के उपरोक्त संदर्भित संशोधित आदेश को निरस्त किया जाकर समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2019-20) बिना GST की राशि के ही जमा करवाया जाना है। विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर के मूल आदेश क्र. 17936 दि. 04.12.2018 (सत्र 2019-20) की शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

उप कुलसचिव

Date : ...7.../1.../2019

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2019/ 20238-45

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
3. वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
4. अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
6. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध / सम्बद्धता आवेदक महाविद्यालय .....
7. प्रभारी अधिकारी, वि.वि. वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना की एक प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर आज ही अपलोड कराने का श्रम करावे।
8. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव  
शैक्षणिक अनुभाग-II